मणिपुर राज्य और अन्य

बनाम

श्रीमती चाबुनगाम थोबिसाना देवी और अन्य

अप्रैल 19, 2007

(अशोक भान और सी.के.ठाकुर, जे. जे.)

सेवा कानूनः

नियुक्ति- सहायक सरकारी अधिवक्ता का पद सह-सहायक लोक अभियोजक - लिखित परीक्षा के साथ-साथ मौखिक परीक्षा का संचालन -इसके बाद राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती पर प्रतिबंध और परिणाम घोषित चुनौती- विरोधी पक्ष को अवसर दिये बिना रिट पिटीशन स्वीकार- उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अभिलेख पर अतिरिक्त तथ्यों पर विचार किये बिना आदेश को बरकरार रखा-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया-गुप्त और किसी भी कारण से रहित अदालतों के आदेश, इस प्रकार, खण्डपीठ के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और मामले को वापस भेज दिया जाता है।

अपीलार्थी-राज्य ने सहायक सरकारी अधिवक्ता-सह-सहायक लोक अभियोजक के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया। चूँकि साक्षात्कार के लिए केवल तारीखें तय की गयी थी। इसलिए एक रिट

याचिका पर उच्च न्याायलय के एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार को लिखित और मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिए नयी तारीख अधिसूचित करने का निर्देश दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत गृह और शिक्षा विभाग में की गयी नियुक्तियों को छोडकर सभी विभागों के सबंध में प्रत्यक्ष भर्ती और डीपीसी के परिणामों की घोषणा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रत्यर्थियों ने रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायलाय के एकल न्यायाधीश ने विरोधी पक्ष को जबाव दाखिल करने का कोई अवसर दिये बिना इसकी अनुमति दी और अपीलार्थी को निर्देश दिया- राज्य सरकार विज्ञापन के अनुसरण में आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित करे। याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की। इसके अतिरिक्त तथ्यों को रिकार्ड पर लाने के लिए एक आवेदन भी दायर किया जिसके लिए न्यायाधीश ने कोई अवसर नही दिया। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने किसी भी तथ्य का उल्लेख किए बिना एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा है इसलिए वर्तमान अपील मामले को उच्च न्यायालय के खण्डपीठ को भेजते हुए न्यायालय ने निर्धारित किया। एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश गुप्त थे और किसी भी कारण से रहित थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट खण्ड पीठ को अभिलिखित करना चाहिए था कि एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थियों को रिट याचिका में किए गए

कथनों पर अपना जबाव दाखिल करने की अनुमति नही दी। चूंकि एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थियों को जबाव दाखिल करने की अनुमती नही दी थी, इसलिए डिवीजन बैंच जिसके समक्ष अतिरिक्त हलफनामे के माध्यम से तथ्य लाये गये थे, को अतिरिक्त तथ्यों को ध्यान रखना चाहिए था और यह डिवीजन बैंच पर निर्भर था कि उन्हे या तो स्वीकार करे या अस्वीकार करे। डिवीजन बैंच ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखने के लिए यह कहने के अलावा कोई कारण नही बताया कि वे एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नही है। इस प्रकार आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया जाता है। [पैरा 9] [388-ए-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 2065/2007

गुवाहटी उच्च न्यायालय, इम्फाल बेंच के 2000 की रिट अपील संख्या 75 में 12-04-2006 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की और से जयदीप गुप्ता और ख्वैरकपम नोबिन सिंह।

उत्तरदाताओं के लिए एस.बी. सान्याल और अरिकम गुणेश्वर शर्मा।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था।

अशोक भान, जे.

1. अनुमति दी गई। विद्ववान अपीलार्थी के लिए वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता और उत्तरदाताओं के लिए विद्ववान वकील श्री.एस.बी. सान्याल को सुना।

2. वर्तमान अपील मणिपुर राज्य द्वारा दायर की गई है और गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ एक और, इम्फाल पीठ ने 12 अप्रैल, 2006 को 2000 की रिट अपील संख्या 75 में, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा है।

3. इस मामले के तथ्य यहाँ संक्षेप में बताए गए हैं। एक विज्ञापन सहायक सरकारी अधिवक्ता-सह-सहायक लोक अभियोजक के दो पदों की नियुक्ति के लिए अपीलार्थी-राज्य द्वारा 12.4.1999 पर जारी किया गया था। इसके बाद, राज्य सरकार ने उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार की तारीखों की सूचना देते हुए दो अधिसूचनाएं जारी कीं। एक रिट याचिका (डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 570/99 होने के नाते) उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर साक्षात्कार की तारीख सूचित करने वाली उक्त अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए दायर की गई थी कि (ए) नियुक्तियां केवल मौखिक साक्षात्कार के आधार पर नहीं की जा सकती थीं, और (बी) एक लिखित परीक्षा लेने की आवश्यकता थी। इस रिट याचिका को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 9 जून, 1999 को

मंजूरी दी गई थी और लिखित व मौखिक परीक्षा आयोजित करने के लिए एक नई अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार को एक निर्देश जारी किया गया था।

4. उच्च न्यायालय की रीट पिटीशन (सी) संख्या 570/99 के निदेर्शो के अनुसरण में उक्त पदो के लिए दिनांक 01 अगस्त 1999 को लिखित परीक्षा एवं दिंनाक 01 दिसम्बर 1991 को मौखिक परीक्षा आयोजित की गई।

5. दिनांक 19 अप्रैल 1999 को राज्य सरकार की कठिन वितिय कठिनता के कारण एक एमऔयू मणिपुर सरकार एवं वित मंत्राालय भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित हुआ। जिसमें भारत सरकार से वितीय सहायता भारत सरकार को लेनी थी। उक्त एमऔयू के अनुसरण में राज्य सरकार ने एक नितीगत निणर्य लिया जिसमें सीधी भर्ती एवं डीपीसी के परिणामों की घोषणा को प्रतिबंधित किया और उक्त नितिगत निणर्य दिनांक 06 नवम्बर 1999 को प्रसारित किया।

6. दिनांक 24 मार्च 2000 को राज्य सरकार ने एक कायार्लय ज्ञापन जारी किया जिसमें सीधी भर्ती एवं डीपीसी के परिणामों की घोषणा को अन्य सभी विभागों सिवाय गृह मंत्रालय एवं शिक्षा, जो कि केन्द्र परायोजित स्कीम के तहत है में नियोक्तियों को छोड़कर, प्रतिबंधित करने बाबत आदेश को लागू किया।

7- विपक्षी (आगे रीट पीटिशनर के रूप में संबोधित किया जायेगा) ने उच्च न्यायालय में दिनांक 03 अप्रेल 2000 को रीट पीटिशन संख्या 355/2000 पेश की जो एक विद्ववान एकल न्यायाधीश के समक्ष दिनांक 06 अप्रेल 2000 को विद्ववान एकल न्यायाधीश के समक्ष सुचीबद्घ हुई। विद्ववान एकल न्यायाधीश ने विपक्षी को जवाब पेश करने का कोई अवसर दिये बिना रीट पीटिशन स्वीकार की और अपीलान्ट - राज्य सरकार को निर्देश दिया की दिनांक 12 अप्रेल 1999 के विज्ञापन के अनुसरण में जो परीक्षा हुई है उसका परिणाम इस निर्णय की प्रति के प्राप्त होने के 07 दिन में घोषित करें।

8- तत्पश्चात राज्य सरकार ने एक दरखास्त (सी ऍम ए संख्या. 182/2000) पेश कर उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करने हेतु 06 माह का समय चाहा या प्रतिबंध हटने जो भी बाद में हो। हालांकि दिनांक 12 जून 2000 को विद्ववान एकल न्यायाधीश द्वारा यह दरखास्त खारिज कर दी गई। तत्पश्चात अपीलान्ट द्वारा रीट अपील पेश की गई जो आपेक्षित आदेश के द्वारा निर्णित की जा चुकी थी। रीट अपील में अपीलान्ट सुसंगत तथ्यो को रिकॉर्ड पर लाये। (जिसके लिए विद्ववान एकल न्यायाधीश द्वारा कोई अवसर नही दिया गया) अतिरिक्त तथ्यों को रिकाडर् पर लेने की दरखास्त दी गई। वर्ष 2005 में पश्चातवर्ती तथ्यो को अभिलेख पर लाया गया जो की राज्य सरकार की जानकारी में नहीं थे।

9- उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने किसी तथ्यों को निर्देशित किये बिना केवल सामान्य निष्कर्ष की विद्ववान एकल न्यायाधीश द्वारा आदेश में कोई अवैधता या गलती नहीं है, विद्ववान एकल न्यायधीश के आदेश को मान्य किया। यह आगे माना गया कि रिकॉर्ड पर लाए गए बाद के घटनाक्रम इसमें हस्तक्षेप करने के लिए पयार्प्त नहीं थे। विद्वान एकल न्यायाधीश् एवं खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश कम से कम कहने के लिए गूढ़ है और किसी भी कारण से रहित है। डिवीजन बेंच को यह दर्ज करना चाहिए था कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उत्तरदाताओं को रिट याचिका में दिए गए कथनो पर अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति नहीं दी। चूंकि एकल पीठ ने उत्तरदाताओं को जवाब दाखिल करने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए डिवीजन बेंच, जिसके समक्ष तथ्य अतिरिक्त हलफनामे के माध्यम से लाए गए थे, को अतिरिक्त तथ्यो पर विचार करना चाहिए था और यह डिविजन बेंच पर निर्भर था कि वह या तो उन्हें स्वीकार करें या उन्हें अस्वीकार करें। डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखने के लिए कोई कारण नहीं बताया है, सिवाय इसके कि वे विद्वान एकल न्यायाधीश के मामले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है।

10. ऊपर बताए गए कारणों से, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ का विवादित आदेश अपास्त कर दिया जाता है और मामले को कानून सम्मत तरीके से नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेज दिया जाता है। हम

मामले को डिवीजन बेंच को भेज रहे हैं ताकि मामले के अंतिम निपटारे में और देरी न हो। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित रिट याचिका को अंतिम निपटान के लिए खंड पीठ के समक्ष रखने का आदेश दिया जाता है। इसमें अपीलकर्ताओं (रिट याचिका में प्रतिवादियों) को विपक्ष में शपथ पत्र (लिखित बयान) एक उचित जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई है । विपक्ष में शपथ पत्र (लिखित बयान) डिवीजन बेंच भी रिट याचिकाकर्ताओं (यहाँ उत्तरदाताओं) को यहाँ अपीलार्थियों द्वारा दायर विरोध में हलफनामे के लिए प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दें। सभी विवाद खुले छोड़ दिए गए हैं।

11. हम मामले के गुण-दोष पर और साथ ही संबंधित दलों के प्रतिद्वंद्वी विवादों पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं। डिवीजन बेंच इस आदेश में या डिवीजन बेंच द्वारा पारित पहले के आदेशों में एवं एकलपीठ के किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना रिट याचिका पर निर्णय लें। उभय पक्षो के वकीलों को अपने मामले के संबंध में आगे के निर्देश के लिए 02-05-2007 पर उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। हम उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि वे मामले को जल्द से जल्द निपटाने के लिए पोस्ट करें।

12. सिविल अपील का निपटारा तदनुसार बिना किसी लागत आदेश के किया जाता है -

अपील का निपटारा किया गया।

एन. जे.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुशील कुमार जैन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।